

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2683] No. 2683] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2013/अग्रहायण 8, 1935

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2013/AGRAHAYANA 8, 1935

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2013

का. आ. 3533(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34), की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुनर्वास परिषद की सामान्य परिषद के सदस्यों के रूप में निम्निलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2479(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 2008 में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्निलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (13), (19) और (26) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त :

(13) श्री स्नकरा श्रीनिवास,

सदस्य

उपाध्यक्ष, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सोसायटी, फ्लैट नं. 402, एमबीआर रेसीडेंसी, स्ट्रीट नं. 5, लेन नं. 4, भारकटपुरा, हैदराबाद-27

5051GI/13 (1)

धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (छ) के अधीन नियुक्त :

(19) डा. मनीषा अग्रवाल,

सदस्य

हाऊस नं.10, सेक्टर-1,

अम्बाला सिटी,

हरियाणा-134003

धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (झ) के अधीन नियुक्त :

(26) डा. सरोज थापा,

सदस्य

एजुकेशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट,

(हेड टीचर डेवलपमेंट), यूनिवर्सिटी लर्न टूडे,

इंडिया टूडे ग्रूप, नं. 6, प्रसीडेंट एसटेट,

तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110005

[फा. सं. 25-01/2013-डीडी-III] अवनीश क्मार अवस्थी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2013

S.O. 3533(E).— In exercise of the powers conferred by sub- sections (1) and (3) of Section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government hereby appoints the following persons as members in the General Council of Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, number S.O. 2479 (E), dated the 18th October, 2008, with effect from the date of publication of this notification, namely:—

In the said notification, for serial numbers (13), (19) & (26) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

Appointed under clause (f) of sub-section (3) of section 3:

(13) Shri Sunkara Sreenivas,

Member

Vice Chairman,

Human Resource Development Society, F. No. 402, MBR Residency, St. No. 5,

Lane No. 4, Bharkatpura,

Hyderabad - 27.

Appointed under clause (g) of sub-section (3) of section 3:

(19) Dr. Manisha Aggarwal,

Member

House No.10, Sector-1,

Ambala City, Haryana- 134003

Appointed under clause (i) of sub-section (3) of section 3:

(26) Dr. Saroj Thapa,

Member

Education Development Specialist, (Head Teacher Development),

Universal Learn Today, India Today Group,

No. 6, President Estate, Talkatora Road,

New Delhi- 110004

[F.No.25-01/2013-DD.III] AWANISH KUMAR AWASTHI, Jt. Secy.